

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./ ६५ /2022

दिनांक: 11.03.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./33/2022 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) हाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पूर्व) भीलवाड़ा को दिनांक 02.03.2022 से 08.03.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:- स्था.बी.2(4)/162/2015/2044

दिनांक: 11.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 2792 दिनांक 04.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर ।
4. श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पूर्व) भीलवाड़ा ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।

सहायक रजिस्ट्रार